पत्रांक–10/नि0–1–(विविध)–03/2026.....1238........../

**बिहार सरकार**

**मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग**

(निबंधन)

सेवा में;

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांक–16 · 2 · 26

**विषयः –** **सात निश्चय–3 "सबका सम्मान, जीवन आसान" के तहत दस्तावेज निबंधन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के संबंध में।**

महाशय,

आप अवगत है कि राज्य सरकार द्वारा आम नागरिकों को प्राप्त होने वाली सरकारी सेवाओं को और अधिक पारदर्शी एवं सरल बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। भूमि के अंतरण से संबंधित दस्तावेज का निबंधन (Registration) एवं तत्संबंधी दाखिल–खारिज (Mutation) अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हैं। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि अंतरण की जा रही भूमि के बारे में पूर्ण जानकारी के अभाव में यदा–कदा उक्त भूमि के अंतरण से संबंधित दस्तावेज का निबंधन हो जाता है, इससे अनावश्यक विवाद उत्पन्न होते हैं।

सात निश्चय–3 "सबका सम्मान, जीवन आसान" के तहत निबंधन की वर्तमान प्रक्रिया को अधिक जनोन्मुख एवं पारदर्शी बनाने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि पक्षकार, अगर चाहें तो उनको संबंधित भूमि के बारे में आधिकारिक रूप से अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जाय। इस हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:–

1. आवेदक (क्रेता/विक्रेता) द्वारा भूमि के दस्तावेज के निबंधन हेतु e-nibandhan Portal पर अपना अकाउंट बनाकर लॉग इन करना होगा।

2. आवेदक को अंतरित की जाने वाली भूमि से संबंधित निम्न जानकारियाँ e-nibandhan Portal पर प्रविष्ट करनी होगी, यथा:–

(i) निबंधन कार्यालय का नाम
(ii) अंचल का नाम
(iii) मौजा का नाम
(iv) थाना संख्या
(v) खाता संख्या
(vi) खेसरा संख्या
(vii) भूमि का रकबा
(viii) चौहद्दी
(ix) जमाबंदी संख्या
(x) जमाबंदी धारक का नाम
(xi) क्रेता का नाम
(xii) विक्रेता का नाम
(xiii) भूमि का प्रकार

3. दस्तावेज के निबंधन से पूर्व आवेदक के पास यह विकल्प होगा कि क्या वह इस भूमि के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त करना चाहता है।

4. यदि आवेदक "भूमि के बारे अद्यतन जानकारी" वाले विकल्प का चयन नहीं करता है, तो संबंधित निबंधन कार्यालय पूर्व निर्धारित तरीके से उसके दस्तावेज के निबंधन हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करेगा।

5. यदि आवेदक "भूमि के बारे में अद्यतन जानकारी" प्राप्त करने हेतु विकल्प का चयन करता है, तो क्रमांक–02 पर प्रविष्ट की गई संपूर्ण जानकारी संबंधित अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी के लॉगइन पर चली जाएगी एवं आवेदक और अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी दोनों को SMS के द्वारा इसकी सूचना मिल जाएगी।

6. अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी अपने लॉगइन से आवेदक द्वारा अपलोड की गई जानकारी की जाँच–पड़ताल करेंगे एवं भूमि के बारे में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराते हुए पुनः पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इस हेतु अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी को लॉगइन में आवेदन प्राप्ति से 10 दिन का समय निर्धारित होगा। इस समय सीमा के अंदर अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी भूमि संबंधित संपूर्ण जानकारी आवेदक के लॉगइन पर भेजेंगे एवं तत्संबंधी सूचना SMS के माध्यम से भी आवेदक को प्राप्त होगी।

7. यदि अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी द्वारा 10 दिनों के अंदर अद्यतन जानकारी नहीं भेजी जाती है तो यह माना जाएगा कि आवेदक द्वारा प्रविष्ट की गई जानकारी पूर्ण है एवं यह प्रतिवेदन आवेदक को स्वतः Auto Forward हो जाएगा। इस आशय का SMS अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी/आवेदक के मोबाईल पर भी भेजी जाएगी।

8. अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी कार्यालय से "भूमि के बारे में अद्यतन जानकारी" प्राप्त करने के उपरान्त संबंधित पक्षकार द्वारा उक्त भूमि के निबंधन के संबंध में उचित निर्णय लेकर अग्रेतर कार्रवाई कर सकेंगे।

9. माननीय न्यायालय द्वारा अवरूद्ध भूमि, भू–हदबंदी वाद से संबंधित भूमि, सरकारी भूमि, भू–अर्जन खेसरा संख्या आदि से संबंधित निबंधन कार्यालय में उपलब्ध रोक सूची से मिलान सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट किये गये डाटा से संबंधित निबंधन कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

यह प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2026–27 से मात्र रैयती भूमि पर लागू होगी। कृपया इन दिशा–निर्देशों का अनुपालन हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

16/02/2026

(अजय यादव)
सचिव,
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग,
बिहार, पटना।

(सी0 के0 अनिल)
**प्रधान सचिव,**
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

48

ज्ञापांक– 10/नि0–1–(विविध)–03/2026..1238.../ पटना, दिनांक–16.02.26

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक/सभी जिला अवर निबंधक/सभी अवर निबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 10/नि0–1–(विविध)–03/2026..1238../ पटना, दिनांक–16.02.26

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 10/नि0–1–(विविध)–03/2026..1238../ पटना, दिनांक–16.02.26

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 10/नि0–1–(विविध)–03/2026..1238.../ पटना, दिनांक–16.02.26

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के वरीय प्रधान आप्त सचिव, सचिव को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 10/नि0–1–(विविध)–03/2026...1238./ पटना, दिनांक–16.02.26

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 10/नि0–1–(विविध)–03/2026...1238./ पटना, दिनांक–16.02.26

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 10/नि0–1–(विविध)–03/2026...1238../ पटना, दिनांक–16.02.26

प्रतिलिपिः– विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

सचिव,
बिहार, पटना।